न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/75/2021
सी एन आर नंबर :- RJBD140001262021

निर्णय दिनांकः- 02.05.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 68/2020 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304(a) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**निर्मल कुमार** पुत्र रामकमार जाट उम्र 41 साल निवासी पिपलेट थाना बहराउण्डा कला जिला सवाईमाधोपुर राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री त्रिलोकीनाथ योगी, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	29.03.2020
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	03.04.2020
आरोप पत्र की तिथि	01.04.2021
आरोप के विरचना की तिथि	06.09.2021
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	04.12.2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	02.05.2026
निर्णय की तिथि	02.05.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	निर्मल कुमार	-	-	धारा 279, 337, 304(a) भा.दं.सं. 1860	दोषमुक्ति	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	महेश	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	मुकेश	तहरीरी रिपोर्ट व नक्शा मौका साक्षी

अभियोजन साक्षी-3	अमरसिंह	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	बंशीलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	राजाराम	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	अनिता महावर	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	इन्द्रसिंह	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	गणेशलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	समीर हुसैन	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	मानसिंह मीणा	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-11	सुमेर सिंह	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-12	केदारलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-13	धर्मेन्द्र सिंह	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-14	जलसिंह	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-15	मनोज	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-16	विजय कुमार	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-17	धर्मेन्द्र गुप्ता	एमएलसी साक्षी
अभियोजन साक्षी-18	सुरेश कुमार	जांच परिवाद साक्षी
अभियोजन साक्षी-19	घनश्याम	सत्यापन साक्षी
अभियोजन साक्षी-20	विजय सिंह	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-21	डॉ अनिल यादव	पोस्टमार्टम साक्षी
अभियोजन साक्षी-22	दिलीप सिंह	सुपुर्दगी वाहन साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	फर्द डैमेज	अभि. साक्षी–1
3.	प्रदर्श पी-3	फर्द फोटोग्राफी	अभि. साक्षी–1
4.	प्रदर्श पी-4	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–2
5.	प्रदर्श पी-5	फर्द पंचायतनामा	अभि. साक्षी–4
6.	प्रदर्श पी-6	फर्द सुपुर्दगी लाश	अभि. साक्षी–4
7.	प्रदर्श पी-7	रवानगी नकल	अभि. साक्षी–4

8.	प्रदर्श पी-8	वापसी रपट	अभि. साक्षी–4
9.	प्रदर्श पी-9	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–5
10.	प्रदर्श पी-10	वाहन प्रमाणित प्रति	अभि. साक्षी–5
11.	प्रदर्श पी-11	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–11
12.	प्रदर्श पी-12	पुलिस बयान	अभि. साक्षी–12
13.	प्रदर्श पी-13	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	अभि. साक्षी–
14.	प्रदर्श पी-14	धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस	अभि. साक्षी–19
15.	प्रदर्श पी-15	फर्द जप्ती	अभि. साक्षी–19
16.	प्रदर्श पी-16	मुलजिम नोटिस	अभि. साक्षी–19
17.	प्रदर्श पी-17	आउटडोर रजिस्टर प्रति	अभि. साक्षी–20
18.	प्रदर्श पी-18	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–20
19.	प्रदर्श पी-19	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–20
20.	प्रदर्श पी-20	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–20
21.	प्रदर्श पी-21	फोटोग्राफ	अभि. साक्षी–20
22.	प्रदर्श पी-22	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	अभि. साक्षी–21
23.	प्रदर्श पी-23	फर्द सुपुर्दगी	अभि. साक्षी–22
24.	प्रदर्श पी-24	मालखाना रजि0 की प्रति	अभि. साक्षी–22

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव फरियादी मुकेश द्वारा पुलिस थाना इन्द्रगढ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 68/2020 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 27.03.2020 को प्रार्थी व उसका मामा मेघराम प्रजापत की मोटरसाईकिल एमएच12–आरई–6586 से गांव आने के लिए रवाना हुए थे। मोटरसाईकिल मेघराम चला रहा था। दिनांक 29.03.2020 को समय करीब 01.30 एएम पर बालाजी मोड इन्द्रगढ़ जिला बून्दी आये जहां सामने से एक गाडी आयी जिसके चालक ने गाडी को गफलत लापरवाही व तेज गति से चलाकर हमारे टक्कर मार दी जिससे दोनों वहीं गिर गये। उस गाडी में तीन पुलिस वाले बैठे थे जो गाली–गलौच कर रहे थे। फिर उन लोगों ने उसी गाडी में डालकर अस्पताल इन्द्रगढ़ ले गये वहां से मेघराम को रेफर करने पर जयपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया। पुलिस वाली गाडी इन्द्रगढ़ थाने की थी...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 महेश, पी.ड.02 मुकेश, पी.ड.03 अमरसिंह, पी.ड.04 बंशीलाल, पी.ड.05 राजाराम, पी.ड.06 अनिता, पी.ड.07 इन्द्रसिंह, पी.ड.08 गणेशलाल, पी.ड.09 समीर हुसैन, पी.ड.10 मानसिंह, पी.ड.11 सुमेरसिंह, पी.ड.12 केदारलाल, पी.ड.13 धर्मेन्द्र, पी.ड.14 जलसिंह, पी.ड.15 मनोज, पी.ड.16 विजय कुमार, पी.ड.17 धर्मेन्द्र कुमार, पी.ड.18 सुरेश कुमार, पी.ड.19 घ ानश्याम वर्मा, पी.ड.20 विजय सिंह, पी.ड.21 डॉ अनिल यादव, पी.ड.22 दिलीप सिंह को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.24 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2020 को समय करीब 01.30 एएम स्थान बालाजी मोड इन्द्रगढ़ में वन विभाग का वाहन कैम्प नीले रंग का नंबर आरजे25–जीए–1151 का चालक होते हुए उसे गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाया, जिससे मजरूबान मुकेश व मेघराम के साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई, जिसके फलस्वरूप मेघराम की मृत्यु कारित हुई ?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 महेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.05.2020 को पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका दरा भेरूजी के मन्दिर के पास हाइवे पर जिस जगह मेघराम प्रजापत का एक्सीडेंट हुआ था उस जगह का नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 पुलिस ने मेरे सामने बनाया था जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेघराम की मोटरसाईकल की फर्द डेमेज प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जो पुलिस ने मेरे सामने बनायी थी। मोटरसाईकल आगे से टूट गयी थी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकल की फोटोग्राफी मेरे सामने की थी, फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी 03 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 मुकेश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि 29 तारीख 2020 की बात है महिना मेरे को याद नही है। मैं और मेरा मामा मेघराम दोनो मोटरसाईकल से महाराष्ट्र से करोली जा रहे थे। मोटरसाईकल मेघराम चला रहा था और मैं पीछे बेठा हुआ था। जेसे ही हम बालाजी मोड इन्द्रगढ पहुंचे, यह रात के एक दो बजे के बीच की बात है, तभी एक नीले रंग का केम्पर लापरवाही से सवाई माधोपुर की तरफ से आया और सामने से हमारी साइड में आकर हमारी टरसाईकल के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से हम दोनो बेहोश हो गये थे। हमे मालूम नही कि हमे अस्पताल कौन लेकर आया था फिर कहा कि शायद पुलिस वाले लेकर आये होंगे। मुझे मोटरसाईकल की नं0 6585 है लेकिन पुरे नं० मेरे को याद नही है मै पढा लिखा नही हूँ। कैम्पर के नं० मेरे को याद नही है, नं० मेने नही देखे। कैम्पर कौन चला रहा था और उसमें कितने लोग बेठे हुए थे यह मेरे को आज याद नही है। माधोपुर रेफर करने पर मेघ ाराम को माधोपुर भर्ती करवाया था जहा से उसे जयपुर रेफर कर दिया जहा उसकी इलाज के दोरान मृत्यू हो गयी। मेरे द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 01 पर सी से डी फर्द डेमेज मोटरसाईकल प्रदर्श पी 02 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 अमरसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.01, फर्द डेमेज मोटरसाईकिल प्रदर्श पी.02, फर्द फोटोग्राफी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 3 पर कमशः ई से एफई से एफ व सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उपरोक्त फर्दे मेरे सामने मुकेश मेघ ाराम के एक्सीडेंट के संबध में वर्श 2020 में मेरे सामने बनायी गयी।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 बंशीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 28.03.2020 को थाना इन्द्रगढ पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। दिनांक 28.03.2020 से 29.03.2020 तक सुबह 8 एएम तक मेरी 24 घण्टे की डीओ डयूटी थी। रात्रि गश्त हेतु मै सीआई साहब मनोज सोनी के साथ राजकीय जीप में सर्किल में गये थे। गश्त करते हुए 2.15 एएम पर थाने के सामने आये जहा इन्द्रगढ अस्पताल का इन्द्रसिंह वॉर्डबॉय ने सूचना दी कि एक्सीडेंट में दो मजरूब इन्द्रगढ अस्पताल में आये है। वहा जाने पर पता चला

कि एक का नाम मेघराम और दुसरे का नाम मुकेश था। दोनों मजरूबान की अवस्था गंभीर होने से एमएलओ साहब ने सवाईमाधोपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जिनको 108 एम्बूलेंस से सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया व जरिये मोबाईल उनके घरवालो को सूचना दी। उस समय मेडिकल स्टाफ ने मोखिक बताया कि वन विभाग के कर्मचारी वर्दी में इनको अस्पताल छोडकर गये है। जिसमें से एक मजरूब मेघराम की दोराने इलाज जयपुर में मृत्यू होने की सूचना मिलने पर जयपुर पहुंचा जहा मुकेश प्रजापत द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर मृतक मेघराम का पंचायतनामा मूर्तिब कर पोस्टमार्टम करवाया जाकर मृतक की लाश को अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 की पुश्त पर सी से डी मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पुलिस का अंकन है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। फर्द पंचायतनामा मृतक मेघराम प्रदर्श पी.05 है जिस ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। सर्किल गश्त हेतु रवाना होने की नकल रपट रवानगी व वापसी रपट की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 07 व पी 08 है जो शामिल पत्रावली है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 अनिता महावर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2020 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मेरी रात्रि ड्यूटी थी। रात को डेढ दो बजे की बात है दो लोग थे, जिनमें एक का नाम मुकेश प्रजापत दूसरे का नाम मेघ ाराम था, दो व्यक्ति सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर लेकर आये थे जिन्होनें वन विभाग की युनिफॉर्म थे। जीप जैसी कार से लेकर आये थे। मेघाराम घायल व अचेत अवस्था में था, मुकेश की शरीर पर भी साधारण चोटें थी। दोनों का हमने फर्स्ट ऐड करके उनको तुंरत हमारे ड्यूटी डॉक्टर गणेशजी को बुलाया जिन्होनें दोनों मजरूबान की सूचना नजदीकी थाना इन्द्रगढ में वार्ड बॉय इन्द्रसिंह को भिजवाया था। जब तक इन्द्रसिंह व पुलिस थाना इन्द्रगढ आते उससे पूर्व ही वनविभाग के कर्मचारी जो मजरूबान को लेकर आये थे वे अस्पताल से चले गये। थोडी देर बाद थाने के कर्मचारी आये जिनमें बशीलाल ए.एस.आई साहब भी थे। फिर उन्होने पूछताछ की और अचेत मेघराम को डॉक्टर साहब ने सवाईमाधोपुर रेफर कर दिया।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 इन्द्रसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2020 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर वार्ड

बॉय के पद पर कार्यरत था। उस दिन मेरी व अनिता स्टाफ नर्स की रात्रि ड्यूटी थी। रात को डेढ दो बजे की बात है दो घायल व्यक्ति लाये गये थे, दो व्यक्ति सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर लेकर आये थे जिन्होनें वन विभाग की युनिफॉर्म पहन रखी थी। जीप जैसी कार से लेकर आये थे। मैं घायलो के लिए स्टैचर लेने चला गया जिनमें से मैने गंभीर चोटे से ग्रस्ति मजरूब को पहले वार्ड में शिफट किया व फिर साधारण चोट से ग्रस्ति व्यक्ति को वार्ड में शिफट किया।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 गणेशलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2020 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन इन्द्रसिंह वार्ड बॉय व अनिता स्टाफ नर्स की रात्रि ड्यूटी थी। रात को डेढ दो बजे की बात है दो घायल व्यक्ति अस्पताल में लाये गये थे। फिर अनिता ने मुझे फोन करके बुलाया घायलों मे एक गंभीर चोटे से ग्रस्ति था जिसका नाम मेघराम था व एक साधारण चोट से ग्रस्ति व्यक्ति जिसका नाम मुकेश था दोनों को फर्स्ट ऐड देकर मैने इन्द्रसिंह को इन्द्रगढ़ थाने में सूचना के लिए भेजा था फिर पुलिस कर्मचारी व बंशीलाल ए.एस.आई साहब आये, फिर उन्होने पूछताछ की और अचेत मेघराम को मैने सवाईमाधोपुर रेफर कर दिया।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 समीर हुसैन ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीबन 5 साल पुरानी बात है। उस समय में 108 एम्बुलेंस लाखेरी पर चालक के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुझे इन्द्रगढ़ अस्पताल से मोबाईल पर कॉल आया था तब मैं इन्द्रगढ़ अस्पताल पहुंचा जहां से दो पेशेंट को सवाईमाधोपुर अस्पताल में छोड़कर आया था। एक का नाम मेघराज व मुकेश प्रजापत था। दोनों घायल अवस्था में थे, मेघराज ज्यादा गम्भीर अवस्था में था।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 मानसिंह मीणा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.03.2020 को वह सीएचसी लाखेरी पर ईएमटी के पद पर कार्यरत था। उस समय मेरी ड्यूटी 108 एम्बुलेंस लाखेरी पर थी। जिसके चालक समीर थे। तभी मेरे पास जयपुर से मोबाईल कॉल आया था

कि इन्द्रगढ़ सीएचसी से रेफर केस है जिसमें मजरूबान को सवाईमाधोपुर अस्पताल रेफर किया गया है।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.13 धर्मेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.04.2020 को थाना इन्द्रगढ़ में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन 28.03.2020 को मै, मनोज कुमार सोनी, बंशीलालसोनी ए.एस.आई साहब, राजाराम डाईवर गश्त करते हुए इन्द्रगढ़, सुमेरगंजमण्डी, लाखेरी गये थे। वापस थाना इन्द्रगढ़ के सामने अस्पताल का कर्मचारी आया था, उसने बताया कि अस्पताल में दो व्यक्ति भर्ती है इस पर ए एस. आई साहब व मै गये थे। गणेशलालजी एम.ओ साहब व एक नर्स ने उनका प्राथमिक उपचार किया था। एक व्यक्ति घायल अवस्था में था जिसका नाम मुकेश प्रजापत था एवं एक व्यक्ति अचेत अवस्था में था जिसका मेघराम था। इसके बाद डॉक्टर साहब ने दोनों को सवाईमाधोपुर के लिए रैफर कर दिया था। बंशीलालजी ए.एस.आई साहब ने उनके परिजनों को मोबाईल से सूचना दी थी। अस्पताल वालो ने बताया था कि एक वनविभाग की नीले कलर की कैम्पर आई थी जो इनको यहा छोडकर गयी थी। कैम्पर के नंबर आरजे 25 जी ए 1151 थे। उसके बाद हम गश्त करते हुए रवाना होकर वापस थाना आये थे।

19. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.14 जलसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि होमगार्ड के पद पर वनविभाग रेंज इन्द्रगढ़ में ड्यूटी दिनांक 04.03.2020 से 31.03.2020 वन संरक्षण हेतु इन्द्रगढ़ में ड्युटी लगी थी। दिनांक 29.03.2020 को लगभग 12, 12.30 बजे रात को हम रात्रि गश्त पर गये हुए थे। एक आदमी ने गाडी रूक वाली तो वहां बालाजी मोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हमने घटना के बारे में रेंजर साहब को बताया था।

20. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.15 मनोज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.03.2020 को थाना इन्द्रगढ़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन बंशीलाल ए.एस.आई द्वारा एक प्रार्थना पत्र मुकेश प्रजापत का मय फर्दात अस्पताल जयपुर से लाकर पेश किया था। उक्त घटना में वाहन संदिग्ध होने के कारण वृताधिकारी लाखेरी के निर्देशानुसार जांच की गयी थी। जांच के पश्चात् वृताधिकारी लाखेरी के निर्देशानुसार उक्त घटना की जांच

श्रीसुरेश कुमार उपनिरीक्षक थानाधिकारी थाना लाखेरी के द्वारा की गयी। सम्पूर्ण जांच से मामला अपराध धारा 279,337,304ए भा.दं.सं. का घटित होना पाये जाने पर मुकदमा संख्या 68/2020 कायम कर निर्देशानुसार जांच अनुसंधान थानाधिकारी थाना गेण्डोली के सुपुर्द किया गया था। एफ.आई.आर प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

21. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.16 विजय कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 28.03.2020 को क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर इन्द्रगढ़ वन्यजीव में पदस्थापित था। उस दिन रात्रि गश्त में सरकारी वाहन संख्या आर जे 25 जीए 1151 एवं निर्मल चौधरी चालक, सहायक वनपाल केदारलाल मीणा, एवं सुमेरसिंह गुर्जर वनरक्षक एंव जलसिंह होमगार्ड, रात्रि गश्त करने गये थे। मेरे पास रात्रि को 12 से 12.30 के बीच में फोन आया कि कोटडी मोड पर बालाजी के स्थान के पीछे दो व्यक्ति और एक मोटरसाईकिल रोड पर एक्सीडेंट होकर पडे है। मैने उनसे कहा कि पुलिस को सूचना दे दो। सुबह रात्रि गश्त से मेरे पास गाडी आयी थी।

22. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.17 धर्मेन्द्र कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.05.2020 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना इन्द्रगढ़ की तहरीर पर मैने मुकेश पुत्र मुरालीलाल उम्र 30 साल जाति प्रजापत निवासी होलीखिडकिया जिला करौली के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी। चोट संख्या 1 मामूली खरोंच दाहिनी आंख के उपर कारित थी। चोट संख्या 2 दाहिने घुटने पर दर्द बताया है। दोनों चोटें साधारण प्रवृति की एंव कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि पुरानी थी।

23. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.18 सुरेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.04.2020 को पुलिस थाना लाखेरी में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन श्रीमान् पुलिस उपअधीक्षक महोदय लाखेरी के द्वारा एक परिवाद मय कागजात के मुझे जांच हेतु प्राप्त हुआ था। दौराने अनसंधान मेरे द्वारा गवाह डॉक्टर गणेशलाल, बंशीलाल, राजाराम, धर्मेन्द्र सिंह, अनिता, इन्द्रसिंह, समीर हुसैन, मानसिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध

किये थे। इसके बाद मैने रिपोर्ट बनाकर श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक महोदय, वृत लाखेरी को भिजवा दी थी।

24. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.19 घनश्याम वर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.04.2020 को वृताधिकारी लाखेरी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या 68/2020 अर्न्तगत धारा 279,337,304ए भा.दं.सं. की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु मुझे प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा श्रीमती दलभरबाई, विजयकुमार मीणा, केदारलाल, सुमेरसिंह जलसिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम निर्मल कुमार के विरूद्ध जुर्म धारा 279,337,304ए भा.दं.सं. का प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चालानी आदेश हेतु थानाधिकारी इन्द्रगढ़ को सुपुर्द की थी।

25. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.20 विजय सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 03.04.2020 को पुलिस थाना गेण्डोली में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 68/2020 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. की पत्रावली सीओ लाखेरी के निर्देशानुसार थानाधिकारी पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु सुपुर्द की गयी। दौराने अनुसंधान गवाहान बंशीलाल, मुकेश, राजाराम, धर्मेन्द्रसिंह, गणेशलाल, अनिता, इन्द्रसिंह, समीर हुसैन, मानसिंह, सुरेश कुमार, मनोज कुमार सोनी के बयान उनके कथनानुसार मेरे द्वारा लेखबद्ध किये गये। सीएचसी इन्द्रगढ़ से आउटडोर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.17, फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी.03, फोटोग्राफ प्रदर्श पी.18 लगायत पी.21 है।

26. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.21 डॉ अनिल यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.03.2020 को राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में मेडिकल ज्युरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैने थाना इन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन पर मृतक मेघराम पुत्र छोटूलाल उम्र 37 साल निवासी बरडा थाना लोगरा जिला करौली के शरीर का शव परीक्षण किया था, मृतक के शरीर जकडा हुआ था, पोस्टमार्टम स्टेमिग शरीर के पिछले भाग पर उपस्थित थी। मृतक का मुह व आंख दोनो बंद थे। सिर पर कुचला हुआ घाव था, जिसका आकार ढाई से.मी. था, जो कि बायी आंख के पास में था। बायी मैगजलीरी बोन का

फैक्चर था, मृतक ब्रेन में सूजन थी, सबडयूरेल हेमरेज ब्रेन के दाये भाग पर उपस्थित था। सब एरनोइड हैमरेज भी ब्रेन के दाये भाग पर उपस्थित था। इंटर वेन्टीकुलर हेमरेज भी उपस्थित था। मेरी राय में मृत्यु का कारण कोमा था, जो मृत्यु पूर्व सिर की चोट से होना पाया गया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है जो कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिय पर्याप्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी.22 है जिसके ए से बी स्थान पर मेरे हस्ताक्षर व सी से डी स्थान पर मेरी राय है।

27. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.22 दिलीप सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2021 को पुलिस थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर में एच.एम मालखाना के पद पर तैनात था। उस दिन श्रीघनश्याम वर्मा पुलिस वृताधिकारी ने मुकदमा संख्या 68/2020 में एक जब्तशुदा कैम्पर बोलेरो कार जिसके रजि नं आरजे 25 जीए 1151 को जब्त कर कोतवाली सवाईमाधोपुर पर सुरक्षार्थ खडी की थी, जिसको मुताबिक जब्ती मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 555/36 पर इंद्राज किया था, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी.24 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी.23 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी कप्तानसिंह के हस्ताक्षर है।

28. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या दिनांक 29.03.2020 को जिस दुर्घटना में आहत मुकेश को साधारण चोटें कारित हुई एवं आहत मेघराम की मृत्यु कारित हुई, वह उक्त दुर्घटना वाहन संख्या RJ25GA1151 के द्वारा कारित की गई है व अभियुक्त निर्मल द्वारा ही उक्त वाहन को वक्त दुर्घटना चलाया जा रहा था। इस संबंध में फरियादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में कथन किया है कि एक गाडी आयी जिसके चालक ने गाडी को गफलत लापरवाही व तेज गति से चलाकर हमारे टक्कर मार दी। जिससे हम दोनों वहीं गिर गये। उस गाडी में तीन पुलिस वाले बैठे थे जो गाली–गलौच कर रहे थे। फिर उन लोगों ने उसी गाडी में डालकर अस्पताल इन्द्रगढ़ ले गये थे। **फरियादी की ओर से अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में यह कहीं भी अंकन नहीं कर रखा है कि किस वाहन के द्वारा उनके साथ दुर्घटना कारित की गई एवं ना ही वाहन**

के नंबर बताये है। उक्त गवाह जब न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.02 के रूप में परीक्षित हुआ तो उसने अपने बयानों में किस वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित की गई है, उसके नंबर नहीं बताये हैं एवं बयानों में केवल मात्र कथन किया है कि **कैम्पर के नंबर मेरे को याद नहीं है, नंबर मैंने नहीं देखे। कैम्पर कौन चला रहा था और उसमें कितने लोग बैठे हुए थे यह मेरे को आज याद नहीं है** एवं जिरह में कथन किया है कि कौनसे नंबर की गाडी से एक्सीडेंट हुआ इसकी मेरे को जानकारी नहीं है व उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में कथन किया गया है कि एक्सीडेंट करने वाली गाडी में तीन पुलिस वाले बैठे हुए थे जो गाली–गलौच कर रहे थे। उन लोगों ने उसी गाड़ी में डालकर इन्द्रगढ़ अस्पताल लेकर आये। जबकि फरियादी न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ तो कथन कर रहा है कि हमें मालूम नहीं है कि हमे अस्पताल कौन लेकर आया था फिर कहा कि शायद पुलिस वाले लेकर आये होंगे।

ऐसे में स्वयं फरियादी अपने द्वारा दी गई रिपोर्ट से विरोधाभसी कथन कर रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में गवाह पी.ड.04 व पी.ड.05 दोनों पुलिसकर्मी है। पी.ड.04 बंशीलाल ने कथन किया है कि उस समय मेडिकल स्टाफ ने मौखिक बताया कि वन विभाग के कर्मचारी वर्दी में इनको अस्पताल छोडकर गये है। पी.ड.05 राजाराम ने कथन किया है कि वहां पर इन्द्रसिंह वार्डबॉय व नर्स अनिता से पूछा तो उन्होंने सीआई साहब को बताया कि दो वनविभाग के कर्मचारी कैम्पर गाडी लेकर आये थे जिसके नंबर आरजे25–जीए–1151 थे। उसके बाद हम लोग वापस थाने आ गये। ऐसे में प्रकरण में निर्मल कुमार को आरोपी इस आधार पर बनाया गया है कि ड्यूटी ऑफिसर को वार्डबॉय इन्द्रगढ़ अस्पताल के वार्डबॉय व नर्स ने बताया कि दोनों मजरूबान को वनविभाग के कर्मचारी से छोड़कर गये थे। वार्डबॉय को पी.ड.07 के रूप में परीक्षित कराया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि रात को डेढ–दो बजे की बात है दो घायल व्यक्ति लाये गये थे, दो व्यक्ति सीएचसी इन्द्रगढ़ पर लेकर आये थे। जिन्होंने वनविभाग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जीप जैसी कार से लेकर आये थे। दोनों मजरूबान की सूचना नजदीकी थाना इन्द्रगढ़ में भिजवाया। जब तक मैं व पुलिस थाना इन्द्रगढ़ आते उससे पूर्व ही वनविभाग के कर्मचारी जो मजरूबान को लेकर आये थे वे अस्पताल से चले गये व अन्य गवाह नर्स पी.ड.06 अनिता को परीक्षित कराया है, जिसने कथन किया है कि रात को डेढ दो बजे की

बात है दो लोग थे, जिनमें एक का नाम मुकेश प्रजापत दूसरे का नाम मेघाराम था, दो व्यक्ति सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर लेकर आये थे जिन्होनें वन विभाग की युनिफॉर्म थे। जीप जैसी कार से लेकर आये थे। मेघाराम घायल व अचेत अवस्था में था, मुकेश की शरीर पर भी साधारण चोटें थी। दोनों का हमने फर्स्ट ऐड करके उनको तुंरत हमारे ड्यूटी डॉक्टर गणेशजी को बुलाया जिन्होनें दोनों मजरूबान की सूचना नजदीकी थाना इन्द्रगढ में वार्ड बॉय इन्द्रसिंह को भिजवाया था। जब तक इन्द्रसिंह व पुलिस थाना इन्द्रगढ आते उससे पूर्व ही वनविभाग के कर्मचारी जो मजरूबान को लेकर आये थे वे अस्पताल से चले गये।

29. ऐसे में उक्त दोनों ही गवाह जिनके द्वारा दी सूचना के आधार पर प्रकरण में निर्मल कुमार को अभियुक्त बनाया गया है दोनों ही केवल मात्र यह कथन कर रहे हैं कि **वन विभाग के कर्मचारी मजरूबान को अस्पताल में छोड़कर गये थे। लेकिन कौनसा कर्मचारी आया था व किस गाड़ी से आया था, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है** व ना ही उक्त दोनों गवाहों ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि उक्त मजरूबान का एक्सीडेंट वनविभाग की गाड़ी से ही हुआ है या नहीं। वनविभाग के कर्मचारी पी.ड. 11 सुमेरसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 28.03.2020 व दिनांक 29.03.2020 को रेन्ज इन्द्रगढ़ में वनरक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 29.03.2020 को रेन्ज इन्द्रगढ़ से गेंडोली सरकारी वाहन आरजे25–जीए–1151 से जा रहे थे। उस समय गाडी में मैं केदार, जलसिंह, वाहन निर्मल कुमार चौधरी साथ थे। **इन्द्रगढ़ से निकलते ही मोड के बालाजी के पास पहुंचे तो वहां एक मोटरसाईकिल पड़ी हुई थी।** उनके पास एक व्यक्ति और खडा हुआ था जिन्होंने हमारी गाडी रूकवायी, फिर हमारी गाडी से घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल पहुंचाया एवं पी.ड.12 केदारलाल ने कथन किया है कि इन्द्रगढ़ निकलते ही मोड के बालाजी के पास पहुंचे तो वहां एक मोटरसाईकिल पडी हुई मिली। उनके पास एक व्यक्ति ओर खडा हुआ था जिन्होंने हमारी गाडी रूकवायी एवं गवाह पी.ड.14 जलसिंह ने कथन किया है कि दिनांक 29.03.2020 को लगभग 12, 12.30 बजे रात को हम रात्रि गश्त पर गये हुए थे। **एक आदमी ने गाडी रूक वाली तो वहां बालाजी मोड पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था।** हमने घटना के बारे में रेंजर साहब को बताया था एवं पी.ड.16 विजय कुमार ने कथन किया है

कि मेरे पास रात्रि को 12 से 12.30 के बीच में फोन आया कि **कोटडी मोड पर बालाजी के स्थान के पीछे दो व्यक्ति और एक मोटरसाईकिल रोड पर एक्सीडेंट होकर पडे है।** मैने उनसे कहा कि पुलिस को सूचना दे दो। सुबह रात्रि गश्त से मेरे पास गाडी आयी थी।

30. ऐसे में उक्त चारों ही वनविभाग के कर्मचारी इस संबंध में कथन कर रहे हैं कि इन्द्रगढ़ से निकलते ही मोड के बालाजी के पास पहुंचे तो वहां उन्हें एक मोटरसाईकिल पड़ी हुई मिली थी। फिर उन्होंने घायल व्यक्तियों को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें अस्पताल लेकर गये। ऐसे में वनविभाग के सभी कर्मचारी यही कथन कर रहे हैं कि एक्सीडेंट पहले से हो चुका था एवं उनके द्वारा घायलों को मात्र अस्पताल पहुंचाया गया था एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्मल कुमार को इस आधार पर मुलजिम माना है कि वार्डबॉय व नर्स अनिता के द्वारा यह सूचना दी गई है कि दोनों मजरूबान को वनविभाग के कर्मचारी ही अस्पताल छोड़कर गये थे। लेकिन ऐसा कोई भी गवाह परीक्षित नहीं करवाया है कि जिसने यह कथन किया हो कि उक्त एक्सीडेंट वनविभाग के कर्मचारी स्वयं एक्सीडेंट करके उन्हें एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में छोड़कर गये हों। ऐसे में केवल मात्र वनविभाग की गाड़ी से दोनों मजरूबान को अस्पताल छोड़े जाने के आधार पर नहीं माना जा सकता है कि एक्सीडेंट वन विभाग के किसी कर्मचारी वन विभाग द्व ारा किया गया हो एवं उसे वक्त दुर्घटना अभियुक्त निर्मल कुमार चला रहा हो। अत : अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि किस वाहन चालक के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित की गई।

31. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.03.2020 को समय करीब 01.30 एएम स्थान बालाजी मोड इन्द्रगढ़ में वन विभाग का वाहन कैम्प नीले रंग का नंबर आरजे25–जीए–1151 का चालक होते हुए उसे गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाया, जिससे मजरूबान मुकेश व मेघराम के साधारण व गम्भीर उपहति कारित हुई, जिसके फलस्वरूप मेघराम की मृत्यु कारित हुई। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत

धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

32. परिणामस्वरूप **अभियुक्त निर्मल कुमार** पुत्र रामकमार जाट उम्र 41 साल निवासी पिपलेट थाना बहराउण्डा कला जिला सवाईमाधोपुर (राज.) को अन्तर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

33. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

34. जब्तशुदा वाहन जो वाहन स्वामी को सुपुदर्गी पर दिया गया है, वह सुपुर्दगीदार के पास बना रहे व बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

35. निर्णय आज दिनांक 02.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़